रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1726] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941
No. 1726] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019/JYAISTHA 17, 1941

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2019

का.आ. 1931(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 773 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, चापरामरी वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 9.60 वर्ग किलोमीटर है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुडी जिले के वन भू-दृश्य में, अपनी वन, नदी पारिस्थितिकी प्रणाली और आसपास के चाय बागानों और विभिन्न नृजातियों वाले ग्रामों के कारण बहुत महत्वपूर्ण है;

और, अभयारण्य की अवस्थिति कालीम्पोंग संभाग की पहाड़ियों के एकदम नीचे है, इस प्रकार यह जलपाईगुडी जिला के मैदान और दार्जिलिंग जिले की पहाडियों के कई पशुओं और पक्षियों के मिलन स्थल का कार्य करता है;

और, अभयारण्य उत्तर में सिप्चू और खुमनी के वनों और दक्षिण में पंझोरा वन खंड के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक का कार्य करता है और यह एक गलियारे का निर्माण करता है जिसका उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दोनों दिशाओं और विलोम दिशाओं में घूमने वाले हाथियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है;

और, अभयारण्य में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कई प्रजातियां रहती हैं जिनमें भारतीय हाथी (एलेफस मैक्सिमुस), गौर (बोस गयरूस), चाईनीज छिपकली *(मानीस पेंटादक्टयला),* तेंदुआ *(पैंथेरा पार्डस),* इंडियन राक पायथन *(पायथन मोलुरुस),* मलायना विशालकाय गिलहरी *(रतुफा बीकोलोर),* तेंदुआ बिल्ली

(फेलिस बेंघालेंसिस) आदि शामिल हैं। हाल ही में यहां अक्सर समीपवर्ती गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान से आने वाले ग्रेट इंडियन एक सींग वाले गैंडे (रायनोसेरोस यूनिकॉर्निस) देखे गए हैं;

और, अभयारण्य पक्षियों के लिए स्वर्ग है जिसमें हरा मागपी *(केसिया चीनेंसिस),* भारतीय ट्रीपी *(देंड्रोकिट्टा वेगाबुंदा),* हिमालयन ट्रीपी *(देंड्रोकीट्टा स्प.),* रुफ़स नेक्ड लाफिंग थ्रश *(गररूलैक्स रूफिकोल्लिस),* फेयरी ब्लू बर्ड *(लरेना स्प.),* लेस्सेर रैकेट टेलड ड्रॉन्गों *(दीकरूरूस रेमीफेर),* ब्लैक हैडेड श्राइक *(पटेरूथियस रूफिवेंटेर),* स्केरलेट मिनिवेट *(पेरीकरोकोट्रस स्पेकीसुस),* हिल मैना *(गराकूला रेलीगीओसा),* व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर *(हलकों स्मिरनेंसिस),* थ्री-टोड किंगफिशर *(केयक्स एरिथका),* पल्लास फिशिंग ईगल *(हलिएइटस लूकोरीफुस),* लार्ज ग्रे हैडेड फिशिंग ईगल *(हलिएइटस इचथ्येतुस),* शिकरा *(एक्सीपिटेर बदीयस),* लेस्सेर एडजुटांट स्ट्रोक *(लेपटोफटीलोस जावानीकुस),* आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए, विभिन्न स्तरों के नृजातीय दबावों को विनियमित किया जाना है क्योंकि इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के एकदम आस-पास के क्षेत्र पारिस्थितिकी की दृष्टी से बहुत संवेदनशील है जो इस संरक्षित क्षेत्र को बहुत प्रभावित करते हैं;

और, चापरामरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य में चापरामरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर दो किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को चापरामरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन पूर्व की ओर $26^{0}53'50.4"$ उ अक्षांश और $88^{0}53'32.4"$ पू देशांतर; पश्चिम की ओर $26^{0}53'06.0"$ उ अक्षांश और $88^{0}47'55.8"$ पू देशांतर; उत्तर की ओर $26^{0}56'30.0"$ उ अक्षांश और $88^{0}52'32.4"$ पू देशांतर और दक्षिण की ओर $26^{0}52'18.1"$ उ अक्षांश और $88^{0}53'07.6"$ पू देशांतर से घिरा हुआ है; चापरामरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 2 किलोमीटर तक क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 37.60 वर्ग किलोमीटर है ।

(2) सीमा विवरण के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** में दिया गया है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध II** में दी गया है।

(4) चापरामरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग; और

(xiii) पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों के सुधार की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में वन रहित एवं अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी के पैराग्राफ 4 में यथा सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय और संवर्धन किया जाएगा।

(8) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह निगरानी के अपने कर्तव्यों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों संबंधी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग; सुविधा भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) पैराग्राफ 4 में वर्णित क्रियाकलापों की अभिवृद्धि करना:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों और जलसरणी के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटल और रिसोर्ट का निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगेः

परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देते हुए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल/रिर्सोट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजना तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन समय समय पर बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा समय-समय पर यथा संशोधित किए गए उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट. -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.-** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भीतर कोई भी नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योग भी हैं।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

IndiaCode

3.	बड़ी जल विद्युत और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिजॉर्टों, की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नही होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। (ख) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों संबधी निर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।

13.	फर्मों, कारपोरेट कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकीव्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा और समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा।

IndiaCode

26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार पारिस्थितिकी संवेदी जोन, के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	संबंधित कलेक्टर	अध्यक्ष;
(ii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	पर्यावरण संरक्षण जिसने पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया हो और जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे सरकार द्वारा नामित किया जाऐगा	सदस्य;
(iv)	ग्रामीण प्रबंधन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	शहरी विकास और आवास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि,	सदस्य;

(vii)	पश्चिम बंगाल के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का विशेषज्ञ	सदस्य;
(ix)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण का विशेषज्ञ	सदस्य;
(x)	संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी	सदस्य-सचिव।

6. विचारार्थ विषय.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में भी आते हैं, जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पूर्व पर्यावरण निर्बाधन के लिए संदर्भित की जाएगी।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैराग्राफ-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

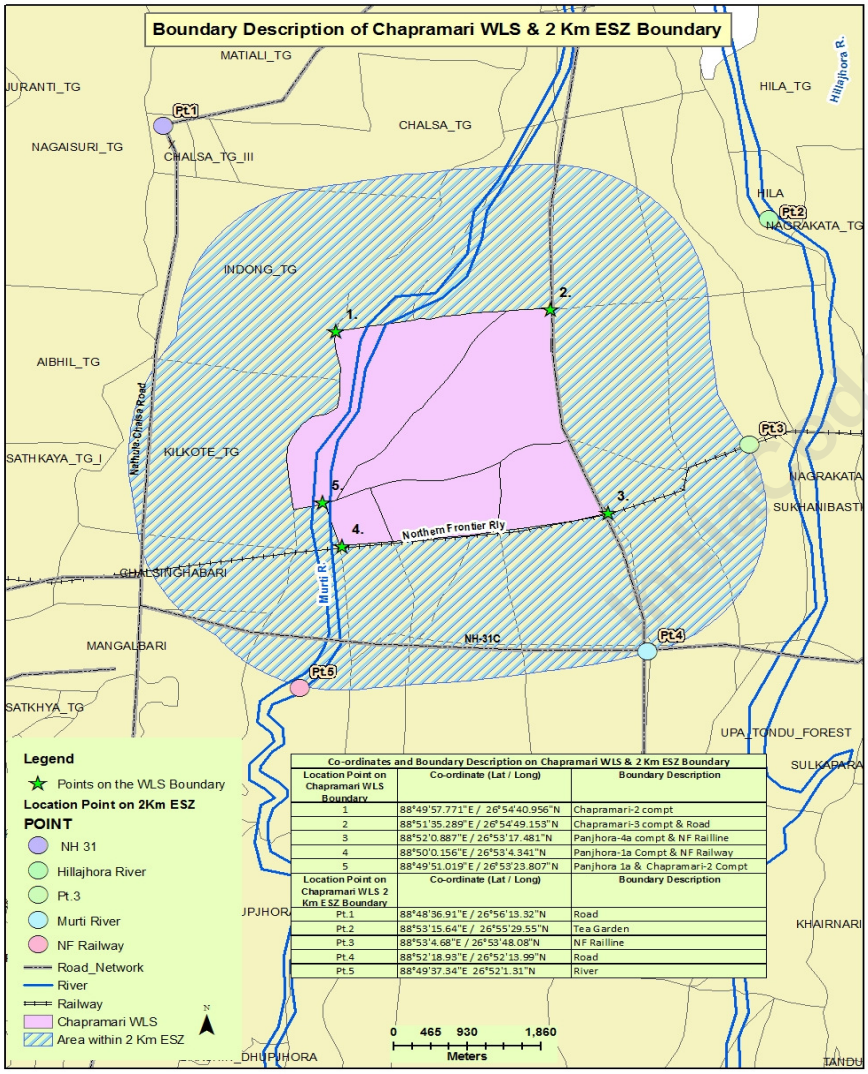
8. उच्चतम न्यायालय के आदेश, आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/40/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ चापरामरी वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल का मानचित्र



Co-ordinates and Boundary Description on Chapramari WLS & 2 Km ESZ Boundary

Location Point on Chapramari WLS Boundary	Co-ordinate (Lat / Long)	Boundary Description
1	88°49'57.771"E / 26°54'40.956"N	Chapramari-2 compt
2	88°51'35.289"E / 26°54'49.153"N	Chapramari-3 compt & Road
3	88°52'0.887"E / 26°53'17.481"N	Panjhora-4a compt & NF Railline
4	88°50'0.156"E / 26°53'4.341"N	Panjhora-1a Compt & NF Railway
5	88°49'51.019"E / 26°53'23.807"N	Panjhora 1a & Chapramari-2 Compt
Location Point on Chapramari WLS 2 Km ESZ Boundary	**Co-ordinate (Lat / Long)**	**Boundary Description**
Pt.1	88°48'36.91"E / 26°56'13.32"N	Road
Pt.2	88°53'15.64"E / 26°55'29.55"N	Tea Garden
Pt.3	88°53'4.68"E / 26°53'48.08"N	NF Railline
Pt.4	88°52'18.93"E / 26°52'13.99"N	Road
Pt.5	88°49'37.34"E 26°52'1.31"N	River

उपाबंध-II

चापरामरी वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर	विवरण
1.	1	26°54'40.956"उ	88°49'57.771"पू	चापरामरी-2 कम्पाट
2.	2	26°54'49.153" उ	88°51'35.289"पू	चापरामरी-3 कम्पाट और सड़क
3.	3	26°53'17.481" उ	88°52'0.887"पू	पनझोरा-4ए कम्पाट और एन एफ रेललाइन
4.	4	26°53'4.341" उ	88°50'0.156"पू	पनझोरा -1ए कम्पाट और एन एफ रेलवे
5.	5	26°53'23.807" उ	88°49'51.019"पू	पनझोरा -1ए और चापरामरी-2 कम्पाट

चापरामरी वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू- निर्देशांक

क्र.सं.	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर	विवरण
1.	बिंदु 1	26°56'13.32" उ	88°48'36.91"पू	सड़क
2.	बिंदु 2	26°55'29.55" उ	88°53'15.64"पू	चाय उद्यान
3.	बिंदु 3	26°53'48.08" उ	88°53'04.68"पू	एन एफ रेलवे लाइन
4.	बिंदु 4	26°52'13.99" उ	88°52'18.93"पू	सड़क
5.	बिंदु 5	26°52'01.31" उ	88°49'37.34"पू	नदी

उपाबंध-III

चापरामरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	पी.एस का नाम	क्षेत्र	क्षेत्र प्रकार	भू- संदर्भ	
1	मटियाली	737.13	राजस्व ग्राम	$26^0$52'52.5" उ	$88^0$49'10.9"पू
2	मटियाली	1665.57	चाय उद्यान	$26^0$50'58.7" उ	$88^0$48'29.7"पू
3	मटियाली	2135.20	चाय उद्यान	$26^0$55'34.0" उ	$88^0$49'19.6"पू
4	नगराकटा	4341.22	वन	$26^0$56'22.4" उ	$88^0$51'31.1"पू
5	नगराकटा	3855.32	वन	$26^0$53'33.8" उ	$88^0$53'56.1"पू

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति — की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। (विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

indiacode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2019

S.O. 1931(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.773 (E), dated the 21st February, 2018 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 22nd February, 2018;

AND WHEREAS, no objections or suggestions were received from persons and stakeholders in response to the said draft notification;

AND WHEREAS, the Chapramari Wildlife Sanctuary with an area of 9.60 square kilometers has a great significance in the forested landscape of Jalpaiguri district of West Bengal along with its forest, riverine ecosystem and adjoining tea gardens and villages including their diverse ethnicities;

AND WHEREAS, the location of the Sanctuary is just under the hills of Kalimpong Division, thus it serves as meeting point of many animals and birds of the plains of Jalpaiguri district and hills of Darjeeling district;

AND WHEREAS, the Sanctuary serves as a vital link between the forests of Sipchu and Khumani in the North and Panjhora Forest Block in the South and this forms a corridor which is widely utilised by migrating elephants moving in both North-South and East-West directions and vice-versa;

AND WHEREAS, the Sanctuary is visited by a number of animal species specified under Schedule-I of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) which includes the Indian Elephant (*Elephas maximus*), Gaur (*Bos gaurus*), Chinese Pangolin (*Manis pentadactyla*), Leopard (*Panthera pardus*),Indian Rock Python (*Python molurus*), Malayan Giant Squirrel (*Ratufa bicolor*), Leopard Cat (*Felis benghalensis*), etc. Recently it is frequently visited by The Great Indian one horned Rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*) coming from adjoining Gorumara National Park;

AND WHEREAS, the Sanctuary is a paradise for birds such as the Green Magpie (*Cissa chinensis*), Indian Treepie (*Dendrocitta vagabunda*), Himalayan Treepie (*Dendrocitta sp.*), Rufous necked Laughing Thrush (*Garrulax ruficollis*), Fairy Blue Bird (*Irena sp.*), Lesser Racket tailed Drongo (*Dicrurus remifer*), Black headed shrike (*Pteruthius rufiventer*), Scarlet Minivet (*Pericrocotus speciosus*), Hill Myna (*Gracula religiosa*), White Breasted Kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), Three-toed Kingfisher (*Ceyx erithaca*), Pallas Fishing Eagle (*Haliaeetus leucoryphus*), Large grey headed Fishing Eagle (*Haliaeetus ichthyaetus*), Shikra (*Accipiter badius*), Lesser Adjutant Stork (*Leptoptilos javanicus*), etc;

AND WHEREAS, for effective conservation and protection of the rich biodiversity of the Sanctuary, the extent of different anthropogenic pressures has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is much ecologically sensitive having great impact on this protected area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Chapramari Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zones;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an uniform extent of two kilometres around the boundary of the Chapramari Wildlife Sanctuary in the State of West Bengal as the Chapramari Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone**.- (1) The Eco-sensitive Zone is bounded by $26^0$53'50.4" N latitude and $88^0$53'32.4" E longitude towards east; $26^0$53'06.0" N latitude and $88^0$47'55.8" E longitude towards west; $26^0$56'30.0" N latitude and $88^0$52'32.4" E longitude towards north and $26^0$52'18.1" N latitude and $88^0$53'07.6" E longitude towards south.; the extent of Eco-sensitive Zone is uniform two kilometers around the Chapramari Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is 37.60 square kilometers.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone boundary along with boundary description is at **Annexure I.**

(3) The list of geo co-ordinates of the boundary of the protected area and the Eco-sensitive Zone is at **Annexure II.**

(4) The list of villages within the Chapramari Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. – (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared, in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways;

(xiii) West Bengal State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

IndiaCode

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism. - (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zones whichever is nearer:

IndiaCode

Provided that beyond the distance of one kilometre from the Eco-sensitive Zones boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage. -** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of this notification in the official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** The prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under, as amended from time to time.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder, as amended from time to time.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016, as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable materials shall be recycled preferably through composing or vermiculture;

(d) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zones.

(10) **Bio-medical waste. -** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.

(11) **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India

in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management**. - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall to be made for use of cleaner fuel.

(16) **Industrial units. -** (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes. -** The protection of hill slopes shall be as under: -

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone, quarrying and crushing units.	(a) New (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in

		accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use

India Code

		including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Regulated under applicable laws.
14.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. (underground cabling may be promoted).
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.

22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned authority.
26.	Solid waste management /bio-medical waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. shall be promoted.
35.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes the Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i)	Concerned Collector	Chairperson;
(ii)	a representative of the State Pollution Control Board	Member;
(iii)	one representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	a representative of Rural Management Department, Government of West Bengal	Member;

(v)	a representative of Agriculture Department, Government of West Bengal	Member;
(vi)	a representative of Urban Development and Housing Department, Government of West Bengal	Member;
(vii)	a representative nominated by the Forest and Environment Department of West Bengal	Member;
(viii)	an expert in biodiversity to be nominated by the State Government	Member;
(ix)	an expert in ecology and environment to be nominated by the State Government	Member;
(x)	in-charge protected area	Member-Secretary.

6. Terms of reference. - (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof shall be scrutinised by the monitoring committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per the Performa appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures. - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

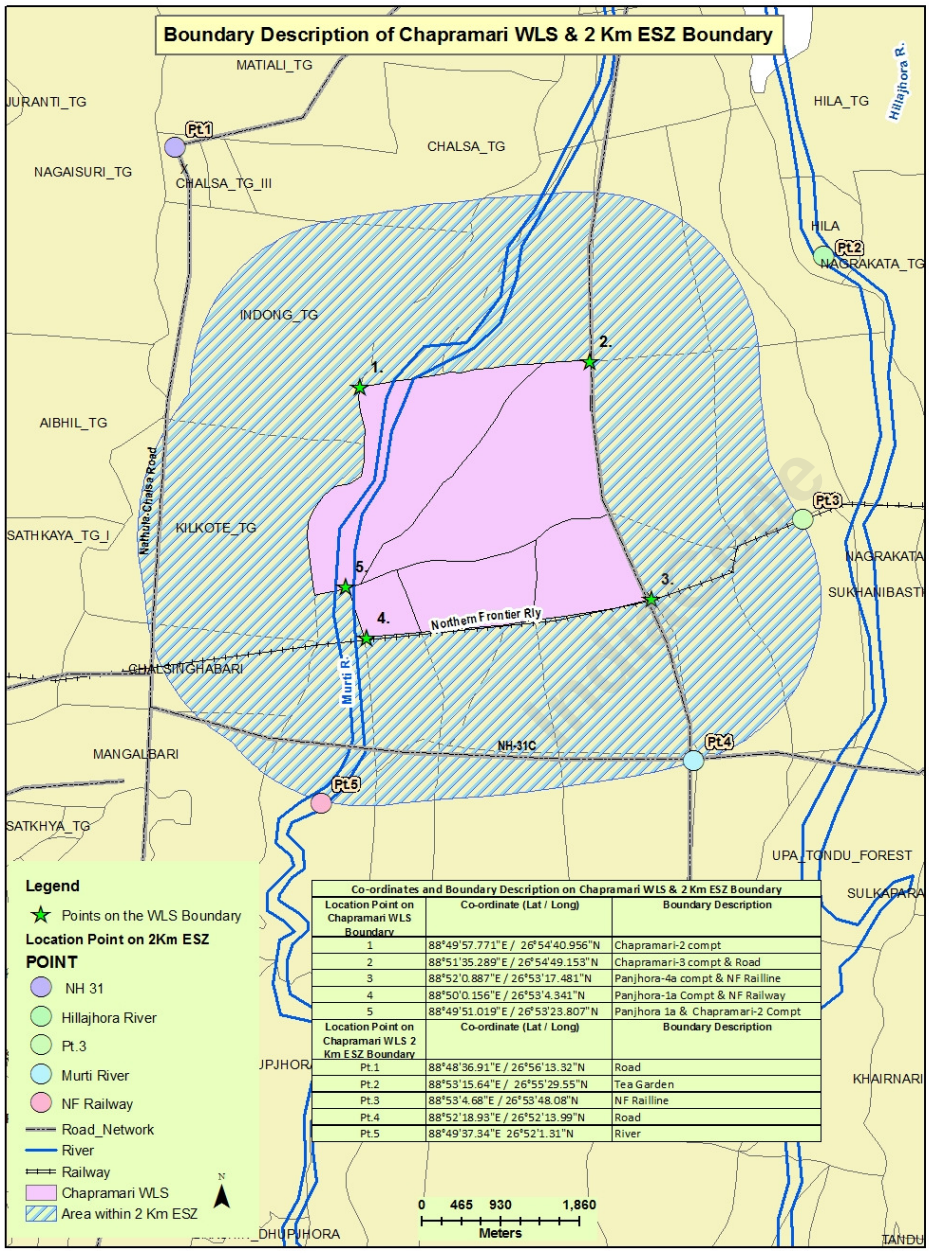
8. Supreme court, etc. orders. - The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/40/2017-ESZ]

Dr. SATISH C.GARKOTI, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Chapramari Wildlife Sanctuary, West Bengal along with Eco-sensitive Zone



Co-ordinates and Boundary Description on Chapramari WLS & 2 Km ESZ Boundary		
Location Point on Chapramari WLS Boundary	**Co-ordinate (Lat / Long)**	**Boundary Description**
1	88°49'57.771"E / 26°54'40.956"N	Chapramari-2 compt
2	88°51'35.289"E / 26°54'49.153"N	Chapramari-3 compt & Road
3	88°52'0.887"E / 26°53'17.481"N	Panjhora-4a compt & NF Railline
4	88°50'0.156"E / 26°53'4.341"N	Panjhora-1a Compt & NF Railway
5	88°49'51.019"E / 26°53'23.807"N	Panjhora 1a & Chapramari-2 Compt
Location Point on Chapramari WLS 2 Km ESZ Boundary	**Co-ordinate (Lat / Long)**	**Boundary Description**
Pt.1	88°48'36.91"E / 26°56'13.32"N	Road
Pt.2	88°53'15.64"E / 26°55'29.55"N	Tea Garden
Pt.3	88°53'4.68"E / 26°53'48.08"N	NF Railline
Pt.4	88°52'18.93"E / 26°52'13.99"N	Road
Pt.5	88°49'37.34"E 26°52'1.31"N	River

Annexure-II

Geo Co-ordinates of boundary of Chapramari Wildlife Sanctuary, West Bengal

Sl. No.	Point Code	Latitude	Longitude	Description
1.	1	26°54'40.956"N	88°49'57.771"E	Chapramari-2 compt
2.	2	26°54'49.153"N	88°51'35.289"E	Chapramari-3 compt & Road
3.	3	26°53'17.481"N	88°52'0.887"E	Panjhora-4a compt & NF Railline
4.	4	26°53'4.341"N	88°50'0.156"E	Panjhora-1a Compt & NF Railway
5.	5	26°53'23.807"N	88°49'51.019"E	Panjhora 1a & Chapramari-2 Compt

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Chapramari Wildlife Sanctuary, West Bengal

Sl. No.	Point Code	Latitude	Longitude	Description
1.	Pt.1	26°56'13.32"N	88°48'36.91"E	Road
2.	Pt.2	26°55'29.55"N	88°53'15.64"E	Tea Garden
3.	Pt.3	26°53'48.08"N	88°53'04.68"E	NF Railway line
4.	Pt.4	26°52'13.99"N	88°52'18.93"E	Road
5.	Pt.5	26°52'01.31"N	88°49'37.34"E	River

Annexure III

List of villages within the Eco-sensitive Zone of Chapramari Wildlife Sanctuary

Sl. no.	Name of P.S	Area	Area type	Geo-reference	
1	MATIALI	737.13	Revenue Village	$26^0$52'52.5"N	$88^0$49'10.9"E
2	MATIALI	1665.57	Tea Garden	$26^0$50'58.7"N	$88^0$48'29.7"E
3	MATIALI	2135.20	Tea Garden	$26^0$55'34.0"N	$88^0$49'19.6"E
4	NAGRAKATA	4341.22	Forest	$26^0$56'22.4"N	$88^0$51'31.1"E
5	NAGRAKATA	3855.32	Forest	$26^0$53'33.8"N	$88^0$53'56.1"E

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.11 13:06:18 +05'30'